भारत सरकार

भारत का विधि आयोग

सिविल तथा दण्ड दोनों प्रकार की विभिन्न अधिनियमितियों में संशोधन करने के लिए सिफारिशों के

बारे में

एक सौ अठहत्तरवीं रिपोर्ट

दिसम्बर, 2001

न्यायमूर्ति
बी०पी० जीवनरेड्डी
अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग

भारत का विधि आयोग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली- 110001
दूरभाष:3384475
निवास:
1, जनपथ
नई दिल्ली:110011
दूरभाष: 3019465

अर्ध०शा०सं०6(3)(73)/2001-एल०सी०(एल एस)

मैं इस पत्र के साथ एक सौ अठत्तरवीं रिपोर्ट अग्रेषित कर रहा हूं जिसमें सिविल तथा दण्ड दोनों के बारे में विभिन्न अधिनियमितियों में संशोधन करने के लिए सिफारिशें अन्तर्विष्ट हैं। विधि आयोग ने यह उपाय इस कारण से अपनाया था कि सिविल तथा दण्डिक अधिनियमितियों में कतिपय ऐसे उपबंध हैं जिन पर ध्यान देने तथा उनमें संशोधन करने की तत्काल आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता में बहुत से उपबंधों में संशोधन करने की आवश्यकता है। यदि हम इनमें से प्रत्येक अधिनियमिति को लेकर उसका व्यापक अध्ययन करें तो इसमें बहुत समय लगेगा जबकि यहां कुछ ऐसे संशोधन हैं जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त विधि आयोग ने हाल ही में वर्ष 1996 में दण्ड प्रक्रिया संहिता के बारे में एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत की थी। यहां जिन संशोधनों की सिफारिश की गई है वे निम्नलिखित के बारे में हैं:—

1. भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 35
2. सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 58(ग)
3. सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 20, नियम 12 और आदेश 20, नियम 18
4. सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 34
5. साझेदारी अधिनियम की धारा 69 (2)
6. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 306 और मोटरयान अधिनियम की धारा 166
7. सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 38 नियम 5
8. सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम में धारा 58(च) तथा अन्य संशोधन
9. सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम में धारा 89ख, 89ग तथा 89घ का अन्तःस्थापन
10. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34
11. हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 19
12. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125
13. पक्षद्रोह साक्षी की समस्या
14. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161, 162, और 173(5)
15. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 74
16. दण्ड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 19
17. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 424क
18. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 424ख
19. राजस्व अधिनियम, सरकार द्वारा क्रय

[illegible]

[illegible],

भवदीय,

([illegible])

श्री [illegible],
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री,
[illegible],
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली।

विषय-सूची

क्रम संख्या		पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना	v—vi
1.	[illegible]	1–3
2.	[illegible]	3–6
3.	[illegible]	6–9
4.	[illegible]	10–11
5.	[illegible]	12–14
6.	[illegible]	15–19
7.	[illegible]	20–22
8.	[illegible]	23–24
9.	[illegible]	25–27
10.	[illegible]	28–33
11.	[illegible]	34–35
12.	[illegible]	36–39

	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, [illegible] के अधीन [illegible]	40–43
13.	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा [illegible]	44–45
14.	हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा [illegible]	46–50
15.	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा [illegible]	51–54
16.	[illegible]	55–57
17.	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161, 162 और 173(5) [illegible]	58
18.	[illegible]	59–62
19.	दंड प्रक्रिया संहिता के [illegible]	
	उपाबंध	63–[illegible]
1.	विधि सुधार [illegible] विधेयक, 2002	

[illegible]

[illegible]

(1) [illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible]

(4) [illegible]

(5) [illegible]

(6) [illegible]

(7) [illegible]

(8) [illegible]

(9) [illegible]

(10) [illegible]

(11) [illegible]

(12) [illegible]

(13) [illegible]

(14) [illegible] अधिनियम, 1908 की धारा [illegible]

(15) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा [illegible]

(16) [illegible] अधिनियम, 1911 की धारा [illegible]

(17) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा [illegible]

(18) हिन्दू दत्तक और भरणपोषण अधिनियम, 1956 [illegible]

(19) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 [illegible]

(20) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164, 162 और [illegible]

(21) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा [illegible]

(22) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 174 [illegible]

(23) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा [illegible]

(24) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा [illegible]

(25) [illegible] अधिनियम, [illegible]

उपर्युक्त 25 [illegible]

1. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 35 तथा [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2. धारा 58 (ग): सशर्त विक्रय द्वारा बन्धक

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"धारा 58(ग) सशर्त विक्रय द्वारा बंधक: जहां बंधककर्ता संपत्ति को प्रत्यक्षतः बेच देता है—

इस शर्त पर कि [illegible]

[illegible]

[illegible] सशर्त विक्रय द्वारा बंधक और बंधकदार सशर्त विक्रय द्वारा बंधकदार कहलाता है।

[illegible]"

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] नहीं।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] जाती है।

इसलिए, यदि [illegible]

[illegible] (देखें [illegible] 1961 [illegible] 176)

धारा 38 (ग) [illegible] ध्यान में [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"[illegible]"

1. सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 20, नियम 12 और आदेश 20, नियम 18

(क) आदेश 20, नियम 12

[illegible]

[illegible]

(5) किसी [illegible] में प्रारंभिक और अंतिम रूप से [illegible] तथा एक से अधिक प्रारंभिक डिक्री और एक से अधिक अंतिम डिक्री हो सकेंगी।

(ii) आदेश 20, नियम 18

[illegible] प्रारंभिक डिक्री [illegible] आदेश 20, नियम 18(2) के अधीन [illegible] प्रारंभिक डिक्री पारित की जाती है।

नियम 18

संपत्ति के बंटवारे या उसमें किसी अंश पर पृथक कब्जे के लिए वाद — जहां न्यायालय किसी संपत्ति के बंटवारे या अंश के पृथक कब्जे के लिए कोई डिक्री पारित करता है वहां—

(1) ---------- ।

(2) यदि और जहां तक कि डिक्री किसी अन्य स्थावर संपत्ति या जंगम संपत्ति के बारे में है, वहां न्यायालय, यदि विभाजन या पृथक्करण सुविधापूर्वक [illegible] नहीं किया जा सकता है, संपत्ति में विभिन्न पक्षों के अधिकारों को घोषित करते हुए और ऐसे निदेश देते हुए जो आवश्यक समझे जाएं, प्रारंभिक डिक्री पारित कर सकेगा।

आदेश 20, नियम 18(2) में प्रयुक्त शब्द "ऐसे निदेश देते हुए जो आवश्यक समझे जाएं" [illegible] की भूमिका का संकेत है।

[illegible]

[illegible] आदेश 20, नियम 18(2) के अधीन [illegible] प्रारंभिक डिक्री [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] आदेश 20, नियम 18 [illegible] एक से अधिक प्रारंभिक डिक्री और एक से अधिक अंतिम डिक्री हो सकेंगी। [illegible]

[illegible] अंतिम हो सकती है।

[illegible]

[illegible] प्रारंभिक डिक्री पारित की जाती है [illegible]

अतः आदेश 20, नियम 18 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित [illegible] किया गया है—

आदेश 20, नियम 18: (1) ....

(2) (क) [illegible] प्रारंभिक डिक्री [illegible] अधिनिर्णीत करेगा।

(ख) न्यायालय, यदि [illegible] विभाजन या पृथक्करण सुविधापूर्वक [illegible] प्रारंभिक डिक्री पारित कर [illegible] निदेश देगा।

(ग) जहां उपखंड (ख) के अधीन [illegible] अंतिम डिक्री पारित करेगा।

(घ) जहां प्रारंभिक डिक्री [illegible] अंतिम डिक्री पारित करेगा।

(ङ) किसी [illegible] प्रारंभिक और [illegible] अंतिम [illegible] एक से अधिक प्रारंभिक डिक्री और एक से अधिक अंतिम डिक्री हो सकेंगी।

4. [illegible]

भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) में धारा 420क का [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

अतः भारतीय दंड संहिता, 1860 में निम्नलिखित धारा 420क जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है:—

420क. जो कोई, [illegible]

(क) [illegible]

(ख) [illegible]

[illegible]

स्पष्टीकरण— [illegible]

5. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"धारा 6(1): [illegible] के अधीन [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]।"

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आरक्षित मूल्य [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] उपधारा (2), (3) और (5) [illegible] [illegible] [illegible] है—

(क) धारा 6 में उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएँ अंतःस्थापित की जाएँगी, अर्थात्—

(7) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] विनिर्दिष्ट करेगी—

(अ) [illegible] [illegible] [illegible] संपत्ति

(ब) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];

(ग) वसूली की राशि, जिसके लिए [illegible] [illegible] [illegible] है,

(घ) आरक्षित मूल्य, जिससे नीचे संपत्ति नहीं बेची जाएगी।

(ङ) कोई अन्य [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

(8) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] उपधारा (5) के अधीन [illegible] [illegible] [illegible] 30 दिन [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

परंतु यह कि यदि 30 दिन से अधिक [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

(9) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया जाएगा।

परंतु यह कि [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] उपधारा (7) के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट आरक्षित मूल्य से कम है।"

(ख) धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

[illegible] [illegible] [illegible] आरक्षित मूल्य [illegible] [illegible]—

"[illegible] धारा 6 में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] धारा 6 की उपधारा (7) को खंड (घ) के अधीन आरक्षित मूल्य [illegible]।"

6. सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 34—आरंभिक डिक्री की तत्संबंधित [illegible] प्रक्रिया का समापन किया जाए

बंधक या [illegible] [illegible] के मामले में, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 34 में आरंभिक डिक्री और तत्पश्चात् अंतिम डिक्री [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हैं:

(i) बंधक-विलेख [illegible] [illegible] [illegible] आदेश 34 के नियम 2 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आरंभिक डिक्री पारित करेगा:

(क) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हुए, या

(ख) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हुए, और

(ग) ऐसा निदेश करते हुए—

(i) कि, यदि प्रतिवादी [illegible] नियम 10 में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] नियम 11 में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] करें।

(ii) कि, यदि [illegible] होगा।

[illegible], आदेश 34 के नियम 3 में, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] अंतिम डिक्री पारित किए जाने का प्रावधान किया गया है।

(ii) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], आदेश 34, नियम 4 में आरंभिक डिक्री पारित करने और नियम 5 के अधीन अंतिम डिक्री पारित करने के लिए [illegible] किया है।

(iii) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आदेश 34 के नियम 7 में आरंभिक डिक्री पारित करने का और नियम 8 के अधीन अंतिम डिक्री पारित करने का [illegible] है।

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] एक ही डिक्री पारित करनी चाहिए।

[illegible] न्यायालय ने वर्ष [illegible] [illegible]

[illegible]

आदेश 34—स्थावर संपत्ति के वादों के संबंध में वाद

1. [illegible]

स्पष्टीकरण—[illegible]

2. [illegible] (1) [illegible]—

(क) [illegible]—

(i) [illegible];

(ii) [illegible];

(iii) [illegible]; और

(ख) यह निदेश देते हुए कि—

(i) यदि प्रतिवादी, नियम 7 में [illegible] [illegible] और

(ii) यदि [illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible]

3. [illegible] (1) [illegible]

(i) [illegible]

(ii) [illegible]—

(क) [illegible]—

(i) [illegible];

(ii) [illegible];

(iii) [illegible];

(ख) यह निदेश देते हुए कि—

(i) यदि प्रतिवादी, नियम 7 में [illegible] और

(ii) यदि [illegible]

[illegible]

4. [illegible]

5. डिक्री, [illegible] के लिए भुगतान [illegible] है—

[illegible]

6. [illegible]

7. [illegible]

8. [illegible]—

प्रथम, [illegible]

दूसरे, [illegible]

तीसरे, [illegible]

चौथे, [illegible] का भुगतान।

[illegible]

(ii) [illegible]

9. [illegible]—

[illegible]

10. [illegible]

7. भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 69 (2) का संशोधन

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8. सिविल वाद के लम्बित रहने के दौरान स्थावर संपत्ति के अंतरणों या ओसीतियों को प्रकट न करना एक अपराध माना जाएगा, जो कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा - भारतीय दंड संहिता, 1860 में धारा 424 क का अंतःस्थापन

[illegible]

[illegible]

9. किसी दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति का क्षतिपूर्ति के लिए कार्यवाही करने का अधिकार दुर्घटना से भिन्न किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात् भी उसके विधिक प्रतिनिधियों को प्राप्त होना – भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 306, मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 110क और मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 166 के लिए संशोधन का प्रस्ताव

[illegible]

[illegible] व्यक्ति की मृत्यु [illegible] और मोटरयान अधिनियम, 1988 में संशोधन करना ही पर्याप्त होगा।

जैसाकि ऊपर बताया गया है, [illegible] अधिनियम, [illegible] विभिन्न प्रकार के मामलों के लिए प्रयोज्य है और यह [illegible] अधिनियम, 1934 पर आधारित है। [illegible] इंग्लैण्ड ने विधि सुधार (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1970 और [illegible] अधिनियम, 1982 अधिनियमित करके इस विषय में और संशोधन किए गए हैं। [illegible] के लिए किए गए हैं।

आयोग का विचार है कि किसी [illegible] के मामले में क्षतिपूर्ति के अधिकार का [illegible] करने से संबंधित विधि का पृथक रूप में [illegible] भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 306 [illegible] मोटर यान अधिनियम, 1939 ([illegible] के विषय में) और मोटर यान अधिनियम, 1988 के लिए [illegible] किया जा सकता है।

इसलिए, हम उपर्युक्त इन अधिनियमों के बारे में विचार करेंगे --

(क) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 306 और धारा के नीचे दिया गया दृष्टांत (एक)

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 306 में कहा गया है कि [illegible] अधिकार [illegible] है और यह अधिकार उसके विधिक प्रतिनिधि के लिए [illegible] नहीं होता। यह स्थिति, जहाँ कुछ दुर्घटना के कारण क्षतिपूर्ति [illegible] 1934 में ही समाप्त कर दिया गया था। भारतीय न्यायालयों ने भी यह अनुभव किया है कि धारा 306 में [illegible] जाना चाहिए। [illegible]

धारा 306 का, जहाँ तक [illegible] संबंधित है, निम्नलिखित है:—

"धारा 306 – किसी व्यक्ति के पक्ष में, उसकी मृत्यु के समय विद्यमान सभी [illegible] मानहानि, हमला या अन्य ऐसी वैयक्तिक क्षतियों के जिनसे पक्षकार की मृत्यु कारित न हो, [illegible] के सिवाय, उसके निष्पादक या प्रशासक को [illegible] हैं।"

धारा 306 के नीचे एक दृष्टांत दिया गया है जिसका पाठ निम्नलिखित है:—

"दृष्टांत (1) – [illegible] उसकी मृत्यु [illegible] समाप्त हो जाता है।"

[illegible] धारा 306 में [illegible]—

(क) "[illegible] मानहानि, हमला, या अन्य ऐसी वैयक्तिक क्षतियों के जिनसे पक्षकार की मृत्यु कारित न हो" का लोप किया जाएगा,

(ख) दृष्टांत (1) का लोप किया जाएगा।

(ख) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166

[illegible] व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर, मृत्यु का दुर्घटना से [illegible] संबंध न भी हो, उसके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा [illegible] कार्यवाही जारी रखने का उपबंध करने हेतु संशोधन

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 166 के विद्यमान उपबंध, जहाँ तक सुसंगत हैं, निम्नलिखित हैं:—

धारा 166 : धारा 165 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार की दुर्घटना से उत्पन्न प्रतिकर के लिए आवेदन किया जा सकेगा—

(क) "क्षतिग्रस्त व्यक्ति द्वारा; या

(ख) संपत्ति के स्वामी द्वारा; या

(ग) जहाँ मृत्यु दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई है, वहाँ मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा; या

(घ) क्षतिग्रस्त व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी एजेन्ट द्वारा या मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा।

परन्तु यह कि जहाँ मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधि ऐसे आवेदन में सम्मिलित नहीं हैं, आवेदन मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधियों की ओर से और उन सभी के फायदे के लिए [illegible] और विधिक प्रतिनिधि जो सम्मिलित नहीं हैं, आवेदन के [illegible] जाएंगे।"

धारा 166 की उपधारा (2) और (3) आवेदन के स्थान तथा समय-सीमा के बारे में हैं और उपधारा (4) में यह उपबंध किया गया है कि पुलिस अधिकारी [illegible] रिपोर्ट की एक प्रति [illegible] अधिकरण, यदि ऐसा करना आवश्यक समझता है, इस रिपोर्ट को [illegible] के अधीन प्रतिकर के लिए आवेदन के रूप में [illegible]।

[illegible] धारा 166 में एक नई उपधारा (5) अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं जो इस प्रकार है:—

"(5) इस अधिनियम में तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का दावा करने का किसी व्यक्ति का अधिकार दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके विधिक प्रतिनिधि को प्राप्त होगा, मृत्यु का कारण उसके घायल होने से किसी प्रकार संबंधित हो अथवा नहीं।

परन्तु यह कि जहाँ मृत्यु का कारण [illegible] क्षतिपूर्ति [illegible] क्षतिग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु होने के [illegible] की अवधि के लिए सीमित रहेगी।"

(ग) मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 110क (अधिकरण या न्यायालयों में लम्बित कार्यवाहियों के लिए प्रयोज्य रूप में), घायल व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर, चाहे मृत्यु का दुर्घटना से कोई संबंध न भी हो, उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा अधिनियम के अधीन कार्यवाही [illegible] के लिए [illegible] करने हेतु [illegible]।

मोटर यान अधिनियम, 1939 को मोटर यान अधिनियम, 1988 द्वारा निरसित कर दिया गया है परन्तु यह संभव है कि उस अधिनियम के अधीन प्रारम्भ की गई बहुत सी कार्यवाहियाँ मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण में या न्यायालयों में [illegible] हों। ऐसी कार्यवाहियों को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 217(1) के [illegible] किया गया है।

[illegible] ऐसे लम्बित मामलों को विधि के अन्तर्गत [illegible] से हम निम्नलिखित उपबंध की सिफारिश करते हैं:—

धारा 217क—मोटर यान अधिनियम, 1939 के अधीन [illegible] क्षतिपूर्ति के संबंध में कतिपय कार्यवाहियाँ समाप्त नहीं होंगी।—

"[illegible] मोटर यान अधिनियम 1939 के अधीन क्षतिपूर्ति के दावों के संबंध में [illegible] विधिक प्रतिनिधि [illegible]।

परन्तु यह कि [illegible] क्षतिपूर्ति [illegible] मृत्यु [illegible] के लिए सीमित होगी।"

10. आदेश 38, नियम 5 और नियम 6-क्या "अन्तिम कुर्की के मामलों में प्रतिभूति दायर करने के लिए प्रतिवादी को पूर्विक सूचना के परिणाम स्वरूप पारित आदेश असफल हो जाएगा?

[illegible]

[illegible] करने के आशय से—

(क) अपनी पूर्ण संपत्ति का या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है; या

(ख) अपनी पूर्ण संपत्ति को या उसके किसी भाग को न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता की सीमा से बाहर हटाने वाला है,

[illegible]

[illegible] (1984 [illegible] 312)।

[illegible] "निर्णयपूर्व कुर्की" [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] नियम 5 और 6 [illegible]

[illegible]

[illegible]

" [illegible]

(1) [illegible]

(क) [illegible]

(ख) [illegible]

[illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible]

(4) [illegible]

(5) [illegible]"

[illegible]—

निर्णयपूर्व अन्तरिम कुर्की

6. (1) [illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible]

(4) [illegible]

(ख) [illegible]

संलग्नक 5

डिक्री की तुष्टि के लिए प्रतिभूति की अपेक्षा करने की पूर्व सूचना के पश्चात् न्यायालय की नोटिस

..............ने न्यायालय को [illegible] प्रतिवादी...

....

आपको यह आदेश दिया जाता है कि [illegible] ....[illegible] ....[illegible] ....[illegible] ....[illegible]

यह आज दि................ को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।

न्यायाधीश

संलग्नक उक

कुर्क करने वाली सूचना के साथ विक्रय से पूर्व [illegible] सूची

आदेश 21, नियम 6

प्रतिवादी

.... ने न्यायालय को [illegible] प्रतिवादी..............

आपको [illegible]

[illegible]

आपको [illegible]

और आप .... [illegible] ....[illegible]

यह आज दि .... को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।

न्यायाधीश"

11. अचल संपत्ति को प्रभावित करने वाली न्यायालय की डिक्रियों या आदेशों और राजस्व वसूली अधिनियम के अधीन न्यायालयों द्वारा अचल सम्पत्तियों की कुर्कियों के आदेशों की रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अधिसूचित की जाने वाली प्रतियों का पुस्तक संख्यांक-1 में दर्ज किया जाना

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] को सूचना। [illegible] के लिए [illegible]

[illegible] 1908 के अधीन [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] सूचना [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] सूचना [illegible]

[illegible]

[illegible] सार्वजनिक सूचना [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] निम्नलिखित हैं—

[illegible]

"[illegible] (1) [illegible]

[illegible]

(2) [illegible]

(3) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट [illegible]

[illegible] निम्नलिखित होंगी।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"[illegible] (1) [illegible]

(2) [illegible]—

(क) [illegible]; और

(ख) [illegible]

(3) [illegible]"

15. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 34: वाद के विचाराधीन रहने की अवधि के लिए तथा डिक्री के पश्चात् ब्याजदर 6% से बढ़ाकर 12% किया जाना और धारा 34(2):

[illegible]

[illegible]

इस धारा 34 की उपधारा (2) में इस आशय के संशोधन का प्रस्ताव करती है कि जहां डिक्री की तिथि से भुगतान की तिथि तक [illegible] अन्य पूर्विक तिथि तक [illegible] ब्याज के संबंध में निर्णय और डिक्री में कोई आदेश नहीं है [illegible] डिक्री [illegible] तिथि से [illegible] न्यायालय के [illegible]। [illegible] की तारीख से भुगतान की तारीख तक या किसी अन्य पूर्विक तिथि तक [illegible] ब्याज के संबंध में आदेश पारित किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा।

चूंकि मूल निर्णय तथा डिक्री के विरुद्ध अपील दायर करने का समय, जहां उच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जाती है, भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 के अधीन, 30 दिन है [illegible] मूल निर्णय और डिक्री के विरुद्ध [illegible] में अपील दायर करने के लिए [illegible] के लिए, [illegible] हो जाता है। [illegible] ब्याज के संबंध में आदेश पारित करने के लिए, न्यायालय में 30 दिन के भीतर आवेदन किया जाना है। [illegible] निर्णय तथा डिक्री के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए [illegible] 30 दिन की [illegible] [illegible] ब्याज के संबंध में [illegible] आवेदन पर आदेश पारित करना है।

उपर्युक्त प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए, धारा 34 का पुनरीक्षित विनिर्दिष्ट रूप में दिया जाएगा:—

ब्याज

"34. (1) जहां डिक्री धन के भुगतान के लिए है, वहां न्यायालय, डिक्री में, निर्णीत मूलधन पर, वाद की तारीख से डिक्री की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनधिक दर पर ब्याज का भुगतान करने का आदेश दे सकेगा, [illegible] वाद की तारीख से पूर्व की किसी अवधि के लिए [illegible] ऐसे मूलधन पर [illegible], उसके साथ ही ऐसे निर्णीत मूलधन पर डिक्री की तारीख से भुगतान की तारीख तक या उससे पूर्व की किसी तारीख तक, जो न्यायालय युक्तियुक्त समझता है, और भी ब्याज दे सकेगा।

[illegible] ऐसे संव्यवहार से उद्भूत दायित्व के संबंध में [illegible] [illegible] प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक [illegible] [illegible] ब्याज की दर [illegible] हो सकेगी [illegible] किसी दर से ब्याज के रूप में दी गई [illegible] दी जाती है।

स्पष्टीकरण—1. इस उपधारा में "राष्ट्रीयकृत बैंक" की परिभाषा में [illegible] बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 और बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1980 के अधीन [illegible] किए गए हैं।

स्पष्टीकरण—2. [illegible] वाणिज्यिक संव्यवहार [illegible] [illegible] व्यापार, कारोबार अथवा कारबार से संबंधित है।

(2) जहां निर्णय तथा डिक्री में ऐसे मूलधन पर डिक्री की तारीख से भुगतान की तारीख तक या उससे पूर्व किसी अन्य तारीख तक भुगतान के संबंध में कुछ भी नहीं है वहां डिक्री पारित करने वाला न्यायालय, जिसने डिक्री पारित की है, उस आवेदन के लिए [illegible] ब्याज के भुगतान के संबंध में [illegible] के संबंध में, जिस पर [illegible] के लिए [illegible], आवेदन पर [illegible] [illegible] आदेश पारित कर सकेगा [illegible] ब्याज का आदेश दिया गया है, जो न्यायालय आदेश के अनुसार ही निर्णय तथा डिक्री में सम्मिलित होगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन धारा में [illegible] निर्णय तथा डिक्री की तारीख से 30 दिन के भीतर किया जाएगा तथा निर्णय और डिक्री के विरुद्ध अपील दायर करने की अवधि की गणना करने [illegible] परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अधीन उपधारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन करने की तिथि तक या [illegible] आदेश की तिथि के बीच की अवधि को निकाल दिया जाएगा, [illegible] ब्याज का आदेश पारित किया गया हो या नहीं।"

विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट के अध्याय [illegible] में यह सिफारिश की गई है कि वाद के विचाराधीन रहने की अवधि के लिए न्यायालय की [illegible] [illegible], यदि [illegible] [illegible] ब्याज का आदेश पारित करने की शक्ति प्राप्त होनी।

आयोग ने इस मामले पर भी ध्यान दिया है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 में [illegible] [illegible] की [illegible] की स्थिति के [illegible] [illegible] है। कुछ न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 34 में [illegible], इसलिए लागू नहीं होगा [illegible] न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 79 लागू होती है। आयोग इस मत का समर्थन करता है कि वाद की विचाराधीन अवधि के [illegible] के लिए ब्याज के विषय में धारा 34 में निर्दिष्ट [illegible] लागू होता है और यह कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 79 में "[illegible]" [illegible] संशोधन किया जाना चाहिए।

[illegible] के बारे में [illegible] किया गया है कि वाद की विचाराधीन अवधि के [illegible] के लिए ब्याज की [illegible] 12 प्रतिशत करने की [illegible] को ध्यान में रखते हुए 14वीं रिपोर्ट में सुझाए गए, अन्य किसी [illegible] की आवश्यकता नहीं है। [illegible] परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 79 में संशोधन के लिए नहीं [illegible] जैसा कि [illegible] 14वीं रिपोर्ट में दिया गया है।

14. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 19

हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 19 का पाठ निम्नलिखित है—

"19 [illegible]—

(i) विवाह सम्पन्न हुआ था;

(ii) [illegible];

(iii) [illegible];

(iv) [illegible]।"

([illegible])

[illegible]

(इक) "[illegible]"

[illegible]

"125 [illegible] (1) [illegible]—

(क) [illegible], अथवा

(ख) [illegible], अथवा

(ग) [illegible]।"

([illegible])

[illegible] हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 [illegible]।

15. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125

[illegible]

"125. पत्नी, संतान तथा माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश

(1) यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति—

(क) अपनी पत्नी का जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या

(ख) अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान का, चाहे विवाहित हो या न हो, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या

..........भरण-पोषण के लिए उपेक्षा करता है..........."

[illegible]

[illegible]

(ग) यदि पति [illegible] से पीड़ित है;

(घ) यदि उसकी कोई दूसरी जीवित पत्नी है;

(ङ) यदि [illegible];

(च) यदि वह हिन्दू धर्म त्याग कर कोई अन्य धर्म अपना लेता है;

(छ) यदि कोई अन्य कारण है जो उसके पृथक् निवास को न्यायोचित ठहराता है।

(3) कोई भी हिन्दू स्त्री [illegible] भरण-पोषण [illegible]।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(1) [illegible]

[illegible]

(2) [illegible]

हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 की उपधारा (2) में—

(i) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"(घ) यदि उसकी कोई दूसरी जीवित पत्नी है, दूसरी पत्नी के साथ विवाह चाहे हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रारंभ से पूर्व सम्पन्न हुआ हो या उसके पश्चात्"

(ii) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्

स्पष्टीकरण—1: [illegible]

[illegible] — [illegible] (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च) में [illegible]

[illegible]

16. [illegible] तथा निष्पक्ष अन्वेषण

[illegible]

[illegible] आयोग [illegible] निम्नलिखित [illegible] —

(क) [illegible]

(ख) [illegible] धारा 161, 162 और [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(क) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 में उपधारा (1क) का अन्तःस्थापन .

[illegible]

"164क (1) [illegible]

(2) [illegible]

(3) ऐसे कथनों की प्रतियाँ अन्वेषण अधिकारी को भेजी जाएंगी।

(4) [illegible]

(5) [illegible]"

(ख) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

17. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161, 162 और 173(5): व्यक्तियों के कथनों को तत्काल मजिस्ट्रेट को भेजे जाने की आवश्यकता

[illegible]

[illegible]

(i) [illegible]

(ii) [illegible]

(iii) [illegible]

(iv) [illegible]

(v) [illegible]

[illegible] कंपनी [illegible] धारा 161 [illegible] 162 [illegible]।

इसलिए, [illegible] धारा 162 [illegible] अभिलिखित किए गए कथनों [illegible] मजिस्ट्रेट [illegible] नहीं है।

अतः आयोग ने [illegible] किया है कि [illegible] 'कपन' [illegible] मजिस्ट्रेट [illegible] सकेगा।

विधि आयोग ने [illegible] रिपोर्ट (19[illegible]) [illegible] धारा 161 और 162 [illegible] है। [illegible] (देखिए पैरा [illegible]):

"[illegible]. धारा 162 के अधीन अभिलिखित किए गए [illegible] धारा 161, 162, 1[illegible] और 1[illegible] [illegible] (1) [illegible] मजिस्ट्रेट [illegible] (अध्याय 9, पैरा [illegible] और [illegible])

[illegible] रिपोर्ट [illegible] अर्थात्—

(1) कि धारा 161, 162 [illegible]

(2) कि [illegible]

(3) कि अभिलिखित [illegible]

(4) कि [illegible] मजिस्ट्रेट [illegible] अधिकारियों [illegible]।

[illegible] धारा 161 के अधीन [illegible] मजिस्ट्रेट [illegible] चाहिए।

अतः हम निम्नलिखित सिफारिश करते हैं—

(क) धारा 162 [illegible]।

(ख) [illegible] धारा 162 [illegible] "पुलिस [illegible]" [illegible] धारा 162 (1) [illegible] धारा 162 [illegible] (1) [illegible] (1), (क) और (ख) [illegible] चाहिए।

धारा 162 [illegible] मजिस्ट्रेट [illegible]।

"(1) [illegible] पुलिस अधिकारी [illegible]।

(क) धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए [illegible] मजिस्ट्रेट [illegible]।

(ख) [illegible]।

[illegible] भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 1[illegible] [illegible]।"

(ग) धारा 162 की उपधारा (2) और उपधारा (3) [illegible]।

18. धारा 174 – मृत्यु समीक्षा में परीक्षा किए गए व्यक्तियों के कथनों को रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजने की आवश्यकता संबंधी प्रस्ताव

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

19. दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय-[illegible] का संशोधन

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"(1) अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए या करने के लिए तात्पर्यित किसी लोक सेवक द्वारा [illegible]

[illegible]

यह रिपोर्ट विभिन्न अधिनियमितियों के बारे में है जिनमें से, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 जैसी मुख्य प्रक्रियात्मक [illegible] अधिनियम, 1872, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरणपोषण अधिनियम, 1956 आदि, मुख्य विधियों से संबंधित है। [illegible] इसलिए, हमने यह [illegible] कि यह [illegible] "[illegible]" शीर्षक के अन्तर्गत भाग 15 में दिया है।

इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किए गए विधि सुधार (प्रकीर्ण उपबंध संशोधन) विधेयक, 2002 में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में जिन संशोधनों की सिफारिश की गई है उनके साथ "[illegible]" पर आयोग की [illegible] रिपोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में जिन संशोधनों की सिफारिश की गई है उन्हें भी [illegible] किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

इसे विभिन्न अधिनियमितियों के बारे में सिफारिशें की हैं और इन्हें [illegible] विधि सुधार (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1954 की [illegible] विधि सुधार (प्रकीर्ण उपबंध संशोधन) अधिनियम, 2002 तैयार किया है, जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

हम तदनुसार सिफारिश करते हैं,

ह०

([illegible])

अध्यक्ष

ह०

([illegible])

सदस्य

तारीख [illegible]

ह०

([illegible])

सदस्य

ह०

([illegible])

सदस्य-सचिव

अनुलग्नक-I

विधि सुधार (प्रकीर्ण उपबंध संशोधन) विधेयक, 2002

कतिपय केन्द्रीय अधिनियमितियों का संशोधन करने के लिए

एक विधेयक

भारत गणराज्य के [illegible] वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इस अधिनियम का नाम विधि सुधार (प्रकीर्ण उपबंध संशोधन) अधिनियम, 2002 होगा।

(2) यह उसी तिथि से प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, [illegible] अधिसूचना द्वारा नियत करे और [illegible] अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तिथियां नियत की जा सकेंगी।

भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) का संशोधन

2. भारतीय दंड संहिता की धारा 424 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्—

[illegible]

[illegible] संपत्ति के [illegible] पूर्व [illegible] के बारे में सूचित करने में [illegible]

"424क. जो कोई, [illegible] संपत्ति के संबंध में [illegible] कोई विल्लंगम [illegible] किसी पूर्व [illegible] या विल्लंगम [illegible] ऐसी संपत्ति के बारे में [illegible] किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में [illegible] या विल्लंगम करता है और—

(क) ऐसे पूर्व में किए गए [illegible] या विल्लंगम की विद्यमानता को [illegible] व्यक्ति को [illegible] नहीं करता है; या

(ख) ऐसी सम्पत्ति या उसके किसी भाग के बारे में किसी अन्य व्यक्ति के [illegible] किसी [illegible] पूर्व में किए गए ऐसे [illegible] या विल्लंगम से [illegible] जानबूझकर [illegible] नहीं करता है,

[illegible] से, जो एक वर्ष की अवधि के कारावास, [illegible] तक का हो सकता है, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—[illegible], विक्रय करार, [illegible] भूमि से संबंधी [illegible] निर्माण के लिए [illegible] धारा के प्रयोजन के लिए [illegible] या विल्लंगम समझे जाएंगे।

स्थावर संपत्ति के [illegible] के बारे में सूचित करने में [illegible]

424ख. जो [illegible] कोई [illegible] करता है—

(क) जो स्थावर संपत्ति या उसमें किसी हित का [illegible] करने के लिए [illegible] है; या

(ख) जो किसी स्थावर संपत्ति या उसमें किसी हित का [illegible] करने के लिए [illegible] है; या

(ग) जो किसी स्थावर संपत्ति का [illegible] के लिए [illegible] है, और

(i) [illegible] ऐसी संपत्ति में [illegible] अंतरित हो, [illegible] नहीं किया गया है, और

[illegible]

(ख) [illegible]

(7) [illegible]

(क) [illegible]

[illegible]

[illegible]

6. [illegible]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) का संशोधन

7. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में—

(क) धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

ब्याज

"34 (1) [illegible]

[illegible]

स्पष्टीकरण—1 [illegible]

स्पष्टीकरण—2 [illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible]

(ख) [illegible]

(ग) [illegible]

(i) [illegible]

[illegible] के लिए [illegible]

"[illegible] (1) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(2) न्यायालय डिक्री पारित करेगा,—

(क) संपत्ति के [illegible] के लिए;

(ख) [illegible] [illegible] के लिए;

(ग) [illegible] [illegible]—

(i) [illegible];

(ii) [illegible]; या

(iii) [illegible] पारित हो।

(3) जहां उपनियम (2) के खंड (ग) के अधीन कोई [illegible] [illegible]

(4) जहां उपनियम (3) के खंड (ग) [illegible] [illegible] डिक्री पारित करेगा।

(5) डिक्री [illegible] रूप में प्रारंभिक और [illegible] रूप में [illegible] और एक से अधिक प्रारंभिक डिक्री और एक से अधिक अंतिम डिक्री हो सकेगी।

(ii) नियम 18 के खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(2) (क) [illegible] [illegible] किया जाएगा।

(ख) [illegible] [illegible] का निदेश देगा।

(ग) [illegible] [illegible] अंतिम डिक्री पारित करेगा।

(घ) जहां प्रारंभिक डिक्री [illegible] [illegible] अंतिम डिक्री पारित करेगा।

(ङ) डिक्री [illegible] प्रारंभिक और [illegible] एक से अधिक प्रारंभिक डिक्री और एक से अधिक अंतिम डिक्री हो सकेगी।"

(iii) आदेश 34 के स्थान पर निम्नलिखित आदेश प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"आदेश 34—[illegible] संपत्ति के वादों के संबंध में वाद

1. [illegible] [illegible] पक्षकारों के रूप में [illegible] किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण—[illegible] [illegible] आवश्यक नहीं है।

2. [illegible] वादों में डिक्री: (1) [illegible] न्यायालय डिक्री पारित कर सकेगा—

(क) [illegible] [illegible]—

(i) [illegible] और [illegible];

(ii) [illegible], यदि कोई हो;

(iii) [illegible] और;

(ख) यह निदेश देते हुए कि—

(i) [illegible] [illegible]

(ii) यदि न्यायालय द्वारा निर्धारित [illegible]

(1) जहाँ, [illegible]

(2) [illegible]

3. विक्रय की बाबत में डिक्री: (1) [illegible]

(ii) [illegible]

(iii) जहाँ [illegible]

4. [illegible]—

(क) [illegible]—

(i) [illegible]

(ii) [illegible]

(iii) [illegible]

(ख) [illegible]—

(i) यदि [illegible]

[illegible]

(ii) [illegible]

5. [illegible]

6. डिक्री, [illegible]—

[illegible]

7. [illegible]

8. पूर्व बंधक के अधीन संपत्ति का विक्रय—[illegible]

9. विक्रय आगमों का उपयोग—(1) [illegible]—

[illegible]

[illegible]

10. [illegible]

[illegible]

11. [illegible]

(ग) आदेश 38 के नियम 5 और 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

निर्णय से पहले कुर्की

"5. [illegible]—

(1) [illegible]—

(क) [illegible]

(ख) [illegible]

[illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible]

(4) [illegible]

(5) [illegible]

[illegible]

6. (1) [illegible]

[illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible]

(4) [illegible]

(घ) [illegible]

"प्ररूप 5

[illegible]

(आदेश 38, नियम 5)

[illegible]

प्ररूप 6

[illegible]

(आदेश 38, नियम 6)

[illegible]

[illegible]

"[illegible]"

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)

1. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में—

(क) [illegible]

[illegible]

(ख) [illegible]

[illegible]

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) का संशोधन

9. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 306 में—

(क) भारतीय दंड संहिता में [illegible] "[illegible], या अन्य [illegible] [illegible] [illegible]" शब्दों का लोप किया जाएगा,

(ख) [illegible] (1) का लोप किया जाएगा।

भारतीय [illegible] अधिनियम, 1932 (1932 का 9) की धारा 69 का संशोधन

10. भारतीय [illegible] अधिनियम, 1932 की धारा 69 के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा:—

"स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "[illegible]" शब्दों का अर्थ '[illegible] [illegible]' होगा।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25) का संशोधन

11. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के खंड (ii) के बाद में निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

(iii) "[illegible] यदि [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] विवाह कर चुके हैं।"

हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 (1956 का 78)

12. हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 18 की उपधारा (2) में—

(i) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"(घ) यदि उसकी कोई दूसरी जीवित पत्नी है, दूसरी पत्नी के साथ विवाह करके हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रारंभ से पूर्व [illegible] हुआ है या प्रारंभ के पश्चात्"

(ii) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

स्पष्टीकरण—1 जहां कोई स्त्री किसी पुरुष से यह जानते हुए विवाह करती है कि वह पहले से विवाहित है और उसकी पत्नी जीवित है, खंड (घ) में [illegible] [illegible] या भरण-पोषण के [illegible] [illegible] प्रस्तुत करने के लिए, उसे पति से पृथक रहने का अधिकार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—2 कोई स्त्री [illegible] में किसी ऐसे पुरुष से विवाह करती है कि वह पुरुष पहले ही विवाहित है और उसकी पत्नी जीवित है, वह खंड (क), (ख), (ग), (ङ), (च) और (छ) में [illegible] [illegible] में से किसी [illegible] या भरण-पोषण का [illegible] [illegible] किए [illegible] पति से पृथक निवास करने की अधिकारिणी होगी।"

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) का संशोधन

13. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में—

(1) धारा 125 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में उपखंड (1) के खंड (ख) में "और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्दावलि अन्तःस्थापित की जानी चाहिए:

"या [illegible] [illegible], हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 11 के अधीन, या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 24 के साथ पठित धारा 4 के खंड (क) के अधीन, या पारसी विवाह अधिनियम 1936 की धारा 4 के अधीन, या तत्समय प्रवृत्त [illegible] [illegible] [illegible] किसी अन्य [illegible] के अधीन, जो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, शून्य हो गया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है।

(2) धारा 161 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्—

"(1) किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन, यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा, यदि वह साक्षर है, हस्ताक्षरित किया जाएगा और यदि साक्षर नहीं है तो उसके अंगूठे का निशान [illegible] किया जाएगा और [illegible] [illegible] [illegible], कथन की एक प्रतिलिपि कथन करने वाले व्यक्ति को उसकी [illegible] तुरन्त दी जाएगी।

(1क) धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए ऐसे कथन में तिथि और समय, जब कथन किया गया था, तथा स्थान, जहां कथन किया गया था, अभिलिखित होंगे और ऐसे कथन मजिस्ट्रेट को भेजे जाएंगे।

(1ख) ऐसा कोई भी [illegible] अभिलेख या ऐसे कथन का कोई भाग या अभिलेख, चाहे वह पुलिस डायरी में हो या न हो, [illegible] [illegible] [illegible] किसी ऐसे अपराध की, जो ऐसा कथन किए जाने के समय, अन्वेषणाधीन था, किसी जांच या विचारण में किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

[illegible] [illegible] ऐसा साक्षी, जिसका कथन उपर्युक्त रूप से लेखबद्ध कर लिया गया है, ऐसी जांच या विचारण में अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है तब यदि उसके कथन का कोई भाग, सम्यक् रूप से साबित कर दिया गया है, तो अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुज्ञा से अभियोजन द्वारा उसका खंडन करने के लिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 145 द्वारा उपबंधित रीति से किया जा सकता है और जब ऐसे कथन का कोई भाग इस प्रकार के उपयोग में लाया जाता है और उस ऐसे कथन का कोई भाग [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], किन्तु उसकी प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट किसी बात का स्पष्टीकरण करने के प्रयोजन से ही, उपयोग में लाया जा सकता है।

(3) धारा 164 के बाद निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कतिपय मामलों में महत्वपूर्ण साक्षियों का कथन मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।

"164क (1) मृत्युदंड से दंडनीय अपराध या [illegible] [illegible] वर्ष या उससे अधिक कारावास (जुर्माने सहित या जुर्माने के बिना) से दंडनीय अपराध का अन्वेषण करने वाला कोई पुलिस अधिकारी, ऐसे अन्वेषण के दौरान उन सभी व्यक्तियों को जिनका कथन मामले के न्यायोचित निपटान के लिए आवश्यक है, उनके कथन अभिलिखित किए जाने के लिए सर्वाधिक निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।

(2) मजिस्ट्रेट उसको भेजे गए ऐसे सभी व्यक्तियों के कथन उपधारा (1) के अधीन शपथ पर अभिलिखित करेगा और उन कथनों को धारा 173 के अधीन पुलिस की रिपोर्ट को [illegible] करते हुए उसके साथ भेजेगा।

(3) ऐसे कथनों की प्रतियां अन्वेषण अधिकारी को भेजी जाएंगी।

(4) यदि कथन अभिलिखित करने वाले मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराध का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है तो वह इस प्रकार अभिलिखित किए गए कथनों को उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसे मामले का विचारण करने की अधिकारिता है।

(5) उपधारा (1) के अधीन साक्षी के रूप में [illegible] [illegible] अभिलिखित किसी व्यक्ति का कथन, यदि [illegible] [illegible] [illegible] और उसकी परीक्षा की जाती है, न्यायालय के विवेक पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अधीन [illegible] [illegible] जा सकेगा।"

(4) धारा 334 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"(2क) [illegible] [illegible] में व्यक्तियों के कथन धारा 161 की उपधारा (1) और (1क) के उपबंधों के अनुसरण में अभिलिखित किए गए हैं और मजिस्ट्रेट को भेजे गए हैं और धारा 164 की उपधारा (1क) के उपबंध ऐसे कथनों के लिए, यथाशक्य लागू होंगे।"

(५) धारा [illegible] की उपधारा (1) के खंड (ख) के पश्चात् "[illegible]" शब्दों के पश्चात् "[illegible]" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(६) धारा [illegible] के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

लोक सेवक द्वारा की गई शिकायत की प्रति अभियुक्त को देना

"[illegible]

[illegible]

(७) धारा [illegible] की उपधारा (1) [illegible] निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1) [illegible]

(८) धारा [illegible] के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी:—

अभियुक्त को [illegible]

"[illegible]

(९) [illegible]

(10) [illegible]

(11) [illegible]

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) का संशोधन

14. मोटर यान अधिनियम, 1988 में—

(क) धारा [illegible] की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(5) [illegible]

परन्तु [illegible]"

(ख) धारा [illegible] के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

[illegible]

"[illegible]

परन्तु [illegible]"

[illegible]

15. (1) [illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible]

(4) [illegible]

(5) [illegible]

(6) [illegible]

(7) [illegible]

(8) [illegible] संहिता, 1908 की पहली अनुसूची के आदेश [illegible] नियम 3 और 4, [illegible] (घ) [illegible] 'घ' [illegible] अधिनियम के प्रारंभ [illegible] पूर्व [illegible] के लिए [illegible] लागू होंगे।

(9) [illegible] अधिनियम, 1925 की धारा [illegible] इस अधिनियम के प्रारंभ [illegible] वैसे ही लागू होते हैं।

(10) [illegible] अधिनियम, [illegible] की धारा [illegible] इस अधिनियम के प्रारंभ [illegible] प्रवृत्त [illegible] हैं।

(11) हिन्दू [illegible] तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा [illegible] की उपधारा (1) के [illegible], धारा 12 द्वारा संशोधित रूप में, [illegible] इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व [illegible] इस अधिनियम द्वारा संशोधित रूप में [illegible] हैं।

(12) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 की उपधारा (1) [illegible] के खंड (ख) के [illegible], धारा 13 के खंड (1) द्वारा संशोधित रूप में, [illegible] इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व [illegible] इस अधिनियम द्वारा संशोधित रूप में [illegible] हैं।

(13) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा [illegible] की उपधारा (1), [illegible] खंड (ख) के [illegible] उपधारा (1), धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा [illegible] रूप में, [illegible] धारा [illegible] द्वारा [illegible] रूप में, उन मामलों में लागू होंगे [illegible] इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि को [illegible] नहीं हुआ था।

(14) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा [illegible] की उपधारा [illegible] के [illegible], धारा 13 की उपधारा (4) द्वारा [illegible] रूप में, उन मामलों में लागू होंगे जिनमें इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि को [illegible] कार्यवाही प्रारंभ नहीं हुई थी।

(15) इस अधिनियम के प्रारंभ के [illegible], [illegible] कार्यवाहियों [illegible] निम्नलिखित के उपबंध प्रवर्तित नहीं होंगे:—

(i) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा [illegible] की उपधारा (3), धारा 13 की उपधारा (3) द्वारा संशोधित रूप में,

(ii) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा [illegible], इस अधिनियम की धारा 13 के खंड (6) के [illegible] रूप में,

(iii) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा [illegible], इस अधिनियम की धारा 13 के खंड (7) के [illegible] रूप में,

(iv) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा [illegible], इस अधिनियम की धारा 13 के खंड (8) द्वारा [illegible] रूप में,

(v) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा [illegible] की उपधारा (4), इस अधिनियम की धारा 13 के खंड (9) द्वारा संशोधित रूप में,

(vi) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा [illegible], इस अधिनियम की धारा 13 के खंड (10) द्वारा संशोधित रूप में,

(vii) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा [illegible] की उपधारा (1), इस अधिनियम की धारा 13 के खंड (11) द्वारा संशोधित रूप में,

(16) [illegible] अधिनियम, [illegible] की धारा [illegible] की उपधारा (1) के [illegible] धारा 14 के खंड (क) द्वारा [illegible] रूप में, [illegible] इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व [illegible] इस अधिनियम द्वारा संशोधित रूप में [illegible] इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि को [illegible] लम्बित [illegible]।

PLD-92-CLXXVIII (Hindi)
75—2005 (DSK-IV)

Price : Rs. 1682.00 *Foreign* £ 24.73 or *cents* 35.04.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI—2005.